



न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 66/2025 बउनवानी तुलसी राम बनाम अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर  
नि० प्लाट नम्बर40, न्यू जवाहर कॉलोनी कलेक्ट्रेट

GCMS No-2025/ 188

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20.8.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 7.5.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " माह मार्च, 2022 से अप्रैल, 2025 तक आवंटित राजकीय आवासों के संबंध में कुल 8 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना" अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: एफ.13(01)(62)/सूकाअ/2025/896 दिनांक 24.7.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही गयी सूचना का संबंध सामान्य अनुभाग से होने के कारण उक्त सूचना के लिए जरिये पत्रांक 536-37, 539 दिनांक 9.5.2025 द्वारा प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग को लिखा जाने पर प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग के पत्रांक 2241-42 दिनांक 2.6.2025 द्वारा वांछित सूचना सीधे ही अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 7.5.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी बिन्दुवार सूचना अपीलान्ट को प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग के पत्रांक 2241 दिनांक 2.6.2025 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है अथवा वस्तुस्थित से अवगत करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;">               ( काना राम )              जिला कलेक्टर              सवाई माधोपुर         </p> <div style="text-align: right;">  </div>